न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 01/2022

पीठासीन अधिकारी

सूर्यकान्त शर्मा (आरटीएस)

1. सावत्री देवी पत्नि रोहिताश बावरिया, जाति बावरिया निवासी पूरणनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

प्रार्थीगण.....

1. अमरसिंह पुत्र सांवतराम मीणा
2. लालचन्द पुत्र सोन्या
3. भैरूराम पुत्र सांवता
4. गोकुल पुत्र सेढा समस्त जाति मीणा निवासीयान सरूण्ड तहसील कोटपूतली

अप्रार्थी गण.....

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक–03.06.2022

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग केंप कोर्ट सरूण्ड में पेश हुई ।

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई ।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 424/0. 31,440/0.13,432/0.15,446/0.27 है0 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 1 सावत्री पत्नि रोहिताश जाति बावरिया निवासी पूरणनगर हैं। साथ ही प्रार्थीया अनुसूचित जाति की सदस्या हैं तथा विधवा महिला हैं। अपनी खातेदारी भूमि में खेती कर जीविकोपार्जन करती हैं परन्तु वहा अप्रार्थीगण जो स्थानीय वांसिदें हैं , ने असामाजिक तत्वों व बदमाश लोगों के साथ प्रार्थीया की काश्त की भूमि पर कब्जा कर झोंपड़ी डाल ली तथा पत्थर इत्यादी डालकर इरादा आदतन पुख्ता निर्माण बनाये हुए हैं जबकि उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना सम्बंध सरोकार नहीं है।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

उक्त आराजी मुतदाविया मुतजिका जि0नं0 1 प्रार्थीया सावत्री देवी ने अपनी स्वअर्जित मेहनत मजदूरी करके किसी अन्य से आराजी खरीद की है, जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम है। अब वर्तमान में आरजी मुतदाविया की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की भूमि है और स्वंय काश्त करती है। परन्तु पिछले साल अपने पति की मृत्यु हो जाने के कारण आराजी मुतदाविया को सम्भालने नहीं जा सकी और इस दरमियान अप्रार्थीगण ने ताकत के बल पर उक्त आराजीयात पर कब्जा कर काबिज होने का घिनोना अपराध कर रहे हैं।

उक्त आराजी की प्रार्थीया मालिक स्वागी है और काश्त करती है परन्तु पति की मृत्यु उपरान्त वहां नहीं जा सकी और आराजी को खाली देखकर उस पर नाजायज अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को कहा कि उक्त आराजी मेरी खरीद शुदा खातेदारी भूमि है आपका इससे कोई लेना देना नहीं है तो अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी मुतदाविया को खाली करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण झगडालू एंव बाजौर किस्म के इंसान हैं, संख्या बल मे ज्यादा है तथा ताकत के बल पर ऐलानिया तौर पर भूमि का कब्जा देने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि भूमि को हम किसी तरह से खाली नहीं करेगें, चाहे जो चाराजोरी करो। प्रार्थीया ने अनेकों बार आराजी मुतदाविया को खाली करने के लिये अप्रार्थीगण को कहा लेकिन अप्रार्थीगण खाली करने के बजाय पुख्ता निर्माण करने पर अमादा है और कहा कि राज में हमारा पाया मजबूत है, प्रार्थीया को नाजायज परेशान कर रहे हैं। मदनसिंह , लालचन्द वगैराह ने पांच सात लोगों का नाजायज भूमाफिया समूह बनाया हुआ है जो अन्य लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और रूपये ऐंठने के चक्कर में खाली करने से मना कर देते हैं। प्रार्थीया के साथ कुछ अन्य लोग गत सप्ताह प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर गये तो वहां अप्राथीगण मिले और कहा उपरोक्त भूमि प्रार्थीया की है, भूमि को खाली कर सम्भला दो तो उन्होने कहा कि यह भूमि हम किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे और ज्यादा कुछ करेगी तो तेरे को बर्बाद कर देंगे इसलिए प्रार्थीया को हक हो गया कि वह बजरिये अदालत अप्रार्थीगण को आराजी मुतदाविया से बेदखल कर कब्जा खातेदार काश्तकार को सुर्पुद करवाया जावे इसलिए यह विनाय प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए मान्य न्यायालय को प्रार्थनापत्र सुनने व तय करने का अधिकार हासिल है। प्रार्थीया विधवा महिला खातेदार काश्तकार है और इस खरीदशुदा भूमि से प्रार्थीया के हित निहित है और न्याय की उम्मीद करती है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी खसरा नंबर हाल 424/0.31,440/0.13,432/0.15,446/0.27 कुल किता चार रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान पर अप्रार्थीगण ने जो कब्जा कर लिया है उनको वहां से बेदखल कर प्रार्थीया को मौके पर भौतिक रूप से काबिज करवाया जावे एवं भविष्य के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीया को ताकत के बल पर नाजायज रूप से बेदखल ना करें, काब्जे काश्त में कोई मजाहमत पैदा ना करें, जो झोपड़ी डाल रखी है उसको हटवा लेवे , किसी प्रकार का निर्माण

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

ना करें। इनको अप्रार्थीगण के खर्चे से हटवाया जाकर उन पर पचास गुना लगान जुर्माना अधिरोपित किया जाकर दण्डित किया जावे और दीगर दादरसी करीने इंसाफ अदालत वाला बख्शी जाने का निवेदन किया जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का से मुताविक राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया।सूचना उपरान्त अप्रार्थी संख्या 4 गोकुल उपस्थित आये परन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित आये लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित आये तथा मौखिक बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये तथ्यों को दोहराते कथन किया की प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थीया को कब्जा दिलाया जावे। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि ग्राम सरूण्ड के खसरा नंबर 424/0.31,440/0.13,432/0.15,446/0.27 है0 हाल राजस्व रिकार्ड के अनुसार सावित्री देवी पत्नि रोहिताश हिस्सा संर्पूण जाति बावरिया निवासी पूरणनगर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ख0नं0 432/0.15 एवं 446/0.27 है0 गत जमाबन्दी सं0 2070–73 में मदनसिंह पुत्र हरनाथ सिंह दर्ज था जो कि नां0 सं0 2174 विकय पत्र से सावित्री देवी पत्नि रोहिताश के नाम दर्ज हुई । खसरा सं0 424/0.31 जमाबन्दी सं0 2062–65 में मोहनसिंह पुत्र श्योनारायण सिंह , कृष्णा बेवा गजेसिंह, मुन्नी बेवा सवाईसिंह, विकमसिंह, बजरंगसिंह पुत्र सवाईसिंह, के नांम दर्ज था जो ना0सं0 1073 बेचान दिनांक 6.10.2008 के द्वारा सावित्री देवी पत्नि रोहिताश के नाम दर्ज हुआ। ख0सं0440/0.13 जमाबन्दी सं0 2062–65 में मदन सिंह पुत्र हरनाथ सिंह राजपूत के नाम दर्ज था जोकि नां0सं0 1072 बेचान 6.10.2008 से सावित्री पत्नि हरनाथ सिंह के नाम दर्ज हुआ पटवारी हल्का द्वारा संशोधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें ख0सं0 440/0.13 की जो रिपेार्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें संशोधन करते हुए प्रस्तुत की गई कि सावित्री देवी पत्नि हरनाथ सिंह के बजाय सावित्री पत्नि रोहिताश पढा जावे। शेष रिपोर्ट यथावत है। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 424/0.31पर पक्का निर्माण स्थित है उपस्थित व्यक्तियों ने बताया की ख0न0 424 में कुछ हिस्से पर लालचन्द पुत्र सुणाराम जाति मीणा द्वारा लगभग 10 वर्षो से पक्का निर्माण (टीन शैड) कर निवास होना बताया । उक्त चारों नम्बरांन पर मुकेश पुत्र गिरधारी, गोकुल पुत्र सेडूराम, अमरसिंह पुत्र सांवता, भैरू पुत्र सांवता , लालचन्द पुत्र सोणाराम जाति मीणा का काबिज होना बताया तथा राजू पुत्र रोहिताश, जयसिंह, मामराज पुत्र मन्नालाल, अक्षय, जीतू पुत्र विजेन्द्र, बहादुर पुत्र मातादीन समस्त जाति मीना का काबिज होना बताया

हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , प्रार्थीया अधिवक्ता की मौखिक बहस ,पटवारी हल्का सरूण्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाके ग्राम संरूण्ड के खसरा नंबर 424/0.31,440/0.13,432/0.15,446/0.27है0 प्रार्थीया की खातेदारी में मुताबिक राजस्व

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार 424/0.31,440/0.13,432/0.15,446/0.27में अप्रार्थीयान द्वारा स्वयं द्वारा काबिज होना अवगत करवाया गया है। प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या हैं उसमें अन्य व्यक्तियों का कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकता यदि किसी का अधिकार का दावा भी किया जाता है तो प्रारम्भ से अवैध व शून्य है।अप्रार्थीगण का अवैध अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है। अतः खसरा नंबर424/0.31,440/0.13,432/0.15,446/0.27है0 प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 424/0.31,440/0.13,432/0.15,446/0.27है0 वाके ग्राम सरूण्ड पर अप्रार्थीगण को अतिकमी घोषित किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 424/0.31,440/0.13,432/0.15,446/0.27 है0 वाके ग्राम सरूण्ड से अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि 29.4रू का पचास गुणा 1470 रू अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.6.2022को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2022-23 के मा. सि. 4
के पृष्ठ 28 पर 1470 रु.
रुपये ... ।

12/7/22
राजस्व ...
कोटपुतली